

ग्रा/ निगा०/ रीवा/ अध्य०/ २०१७/ २४०

न्यायालय श्री मान मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल सर्किल कोर्ट रीवा



प्रदीप कुमार तनय दीनानाथ पटेल सा० बंजारी तह० गुढ जिला रीवा म०प्र०

301-

— निगरानीकर्ता

बनाम

1— अरुण कुमार तनय कृष्ण प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम बंजारी तह० गुढ जिला रीवा म०प्र०

2— शासन म०प्र०

भौद्ध० मी सी.पी. निशा  
द्वारा देश। 23-8-17  
*[Signature]*

— गैर निगरानीकर्ता गण

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक सर्किल गुढ तह० गुढ जिला रीवा म०प्र० पू०क० 23अ/१२/ 15-16 आदेश दिनांक

03-07-2017

अपील अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू०रा० सं० 1959  
ई०

मान्यवर,

संक्षिप्त तथ्य निम्न है :-

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य यह है कि गैर निगरानीकर्ता क० १ अरुण कुमार तनय कृष्ण प्रसाद द्वारा ग्राम बंजारी स्थित आराजी ख०क० 348 रकवा ०.१९० हे० का सीमांकन कराये जाने हेतु राजस्व निरीखक सर्किल गुढ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया राजस्व निरीक्षक सर्किल गुढ द्वारा पटवारी हल्का बंजारी को विधिवत सीमांकन किये जाने का आदेश दिया पटवारी हल्का बंजारी द्वारा सीमांकन के समय उपस्थित होने के लिये निगरानीकर्ता को कोई सूचना नहीं दी जबकि निगरानीकर्ता सीमांकन भूमि का सरहदी कास्तकार है सीमांकन की कार्यवाही भी बिना मुस्तकिल सीमा चिन्ह से पैमाइस आरम्भ करते हुये की गई यानी पटवारी हल्का द्वारा मनमानी तरीके पर सीमांकन नियमों के प्रतिकूल सीमांकन कर सीमांकन प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक सर्किल गुढ के समक्ष प्रेषित किया राजस्व निरीक्षक महोदय, ने भी सीमांकन में की गई अनियमितता एवं वैधानिकता पर विचार न करते हुये पटवारी हल्का बंजारी द्वारा किये जाने सीमांकन को प्रमाणित करने का आदेश दिया जिससे प्रमाणीकरण आदेश से परिवेदित होकर

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

(71)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक

II/निग0/रीवा/भू-रा0/2017/2840

जिला—रीवा

प्रदीप कुमार पटेल/अरुण कुमार मिश्रा

(1)

(2)

(3)

23.04.19

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सी0पी0 मिश्रा उपस्थित।  
आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, सर्किल गुढ़,  
तहसील गुढ़ के प्रकरण क्रमांक 23/अ—12/2015—16 में पारित  
आदेश दिनांक 03.07.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0  
भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के  
पूलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता  
धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के  
विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई  
हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु  
क्रमांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।

  
(बी.एम.मिश्रा),  
सदस्य

